नगर निकाय चुनाव 2018 : नगर पालिका परिषद खटीमा के संदर्भ में

डॉ0 प्रकाश चन्द्र

अतिथि सहायक अध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

श्री रामसिंह धौनी राजकीय

महाविद्यालय जैती, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

ई–मेल–. pc28543@gmail.com

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 08.01.2019
Approved: 28.02.2019

डॉ0 प्रकाश चन्द्र

नगर निकाय चुनाव 2018 : नगर पालिका परिषद खटीमा के संदर्भ में

RJPP 2019,
Vol. XVII, No. 1,
pp. 65-72
Article No. 9

Online available at *:*
https://anubooks.com/?page_id=5286

सारांश

स्थानीय शासन का अर्थ उन स्थानीय संस्थाओं के शासनों से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी स्थानीय शासन के मामलों में अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग वे किसी उच्चत्तर अधिकारी के नियंत्रण के बिना अपने विवेक से कर सकती है। कार्ल जे0 फ्रेडरिक ने स्थानीय शासन को उद्देश्य की दृष्टि से परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''स्वायत्त शासन स्थानीय समाज पर एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करें, जबकि वह स्थानीय रूप से सक्रिय है।'' इसी को सरलीकृत करते हुए एल0 गोंडिग का कहना है कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबन्ध है।

डॉ0 प्रकाश चन्द्र

प्रस्तावना

भारत में स्थानीय शासन प्रायः स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। विभिन्न देशों में इसे अलग–अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे फ्रांस में स्थानीय प्रशासन, संयुक्त राज्य अमेरिका में म्युनिसिपल शासन आदि। भारत में स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन कहने की शुरूआत उस समय हुई जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनता को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय किसी भी स्तर पर स्वशासन उपलब्ध नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थानीय शासन में भागीदार बनाने का निर्णय किया तो उसका अभिप्राय जनता को कुछ अंशों में स्वशासन प्रदान करना था। किन्तु आज जबकि देश में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों स्तरों पर स्वशासन की स्थापना हो चुकी है स्थानीय स्वशासन शब्द का महत्व लुप्त हो चुका है। वस्तुतः भारतीय संविधान में भी स्थानीय शासन पद का प्रयोग किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची (राज्य सूची) की पांचवीं प्रविष्टि में कहा गया है– ''स्थानीय शासन अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला परिषदों, खनन बस्ती प्राधिकरणों तथा स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन हेतु स्थापित अन्य स्थानीय, प्राधिकरणों की रचना तथा शक्तियाँ। सारभूत रूप में स्थानीय शासन का अभिप्राय यही है कि स्थानीय मामलों का प्रबन्ध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा करें।''

स्थानीय शासन का अर्थ उन स्थानीय संस्थाओं के शासनों से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी स्थानीय शासन के मामलों में अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग वे किसी उच्चत्तर अधिकारी के नियंत्रण के बिना अपने विवेक से कर सकती है।

इन साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में स्थानीय शासन के परिभाषित करते हुए लिखा गया है– ''पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अन्दरूनी प्रबन्धित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता'' इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि स्थानीय शासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निर्णय लेने और कार्य करने की स्थानीय स्वतंत्रता पर बल देना है। कार्ल जे0 फ्रेडरिक ने स्थानीय शासन को उद्देश्य की दृष्टि से परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''स्वायत्त शासन स्थानीय समाज पर एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करें, जबकि वह स्थानीय रूप से सक्रिय है।'' इसी को सरलीकृत करते हुए एल0 गोंडिग का कहना है कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबन्ध है।

संवैधानिक विकास

नगरपालिका की स्थिति को मजबूत करने तथा इन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1989 में 65 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया, जो लोकसभा में पारित हो गया, किन्तु यह विधेयक राज्य सभा में पारित न हो सका तथा सत्ता परिवर्तन के बाद 1990 में वी पी सिंह सरकार द्वारा इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया गया। किन्तु लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया और एक बार फिर 1991

में पी वी नर सिम्हा राव सरकार द्वारा विधेयक को पास कराने का प्रयास किया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने दिसम्बर 1992 में पारित कर दिया तथा राष्ट्रपति की स्वीकष्त इस विधेयक को 20 अप्रैल 1993 को मिली और यह विधेयक 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से जाना गया जो देश में 01 जून 1993 से प्रभावी हो गया।

74 वां संविधान संशोधन अधिनियमः–

इस अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 A को जोड़ा गया जिसका नाम नगर पालिकाऐं रखा गया, जो कि अनुच्छेद 243 (P) 243 (ZG) में वर्णित है तथा उसके अलावा संविधान में उनके कार्यों से सम्बन्धित 12 वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें 18 विषयों का वर्णन है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. नगर पालिका परिसीमन
2. विकास के मुद्दे का अध्ययन
3. नगर की स्वच्छता का अध्ययन
4. प्रत्याशी की स्वच्छ छवि का अध्ययन
5. मतदान के प्रति उत्साह का अध्ययन

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ता ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोगकिया है। प्राथमिक स्तर के समंकों में क्षेत्रीय स्तर पर शोध कार्य की प्रकृति को देखते हुए एक सूक्ष्म प्रश्नावली बनायी गई है। मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के 40 व्यक्तियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है। उनसे प्राप्त उत्तर का संकलन भी किया गया है द्वितीयक स्तर के समंकों में समाचार पत्र एवं पुस्तकों का प्रयोग किया गया है।

निर्वाचन की घोषणा

15 अक्टूबर 2018 को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम राज्य सरकार को भेजा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शहरी विकास सचिव आर.के. सुधांशु ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री चन्द्रशेखर भट्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पर प्रेस कान्फ्रेस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम निम्न हैः–

20.10.2018	:	नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरूआत
23.10.2018	:	नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
25 तथा 26.10.2018	:	नामाकन पत्रों की जांच
27.10.2018	:	नामांकन पत्र की वापसी
29.10.2018	:	चुनाव चिह्न का आंवटन

18.11.2018	:	मतदान
20.11.2018	:	मतगणना

आदर्श चुनाव आचार संहिता

नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शहरी क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहित तुरन्त प्रभाव से लागू हो गयी।

खटीमा नगर पालिका परिशद–अनुसूचित जनजाति (महिला आरक्षित)

खटीमा नगर पालिका क्षेत्र को 20 वार्ड में विभक्त किया है। वार्ड नम्बर 01– कंजाबाग पटिया, 2– ईदगाह वार्ड, 3– रजा मस्जिद वार्ड, 4–इस्लाम नगर वार्ड, 5–कुरेशी मस्जिद वार्ड, 6–गोटिया वार्ड, 7–पूर्णागिरी कॉलोनी, 8–पंचशील कॉलोनी, 9–अमाऊं मयूर विहार वार्ड, 10–झनकईया वार्ड, 11–आवास विकास कॉलोनी वार्ड, 12–खेतलसण्डा वार्ड, 13–हनुमान मंदिर वार्ड, 14–सनातन धर्मशाला वार्ड, 15–थारू राजकीय इण्टर कॉलेज वार्ड, 16–अम्बेडकर नगर वार्ड, 17–शिव कॉलोनी वार्ड, 18– विकास खण्ड खटीमा वार्ड, 19– आदर्श कॉलोनी वार्ड, 20–न्यू तहसील वार्ड।

प्रत्याशियों का नामांकन

22 अक्टूबर 2018 को पालिकाध्यक्ष पद पर अनुसूईया राणा तथा पूनम मर्तोलिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

23 अक्टूबर 2018 को भाजपा प्रत्याशी मीना राणा, कांग्रेस प्रत्याशी सोनी राणा तथा निर्दलीय प्रत्याशी बीना राणा ने अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया।

जांच के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची तथा चुनाव चिह्न आवंटन

नगर पालिका परिषद खटीमा में पालिकाध्यक्ष पद पर कुल 05 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इनमें से 01 प्रत्याशी (अनुसुईया राणा) का नामांकन जांच के बाद खारिज कर दिया। 01 प्रत्याशी (बीना राणा) ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। कुल 03 प्रत्याशी चुनाव में संघर्ष हेतु शेष रह गये। 29 अक्टूबर 2018 को वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटन किये गये।

तालिका 01

क्र0सं0	प्रत्याशी का नाम	दल का नाम	चुनाव चिह्न
1	श्रीमती मीना राणा	भाजपा	कमल का फूल
2	सोनी राणा	कांग्रेस	हाथ का पंजा
3	पूनम मर्तोलिया	निर्दलीय	गैस का सिलेण्डर

स्त्रोत – निर्वाचन कार्यालय खटीमा से प्राप्त आंकड़े।

चुनाव प्रचार

कांग्रेस

नगर पालिका खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी सोनी राणा ने नगर पालिका के सभी वार्डों का डोर–टू–डोर जन सम्पर्क किया तथा नगर के सुनियोजित विकास के लिए हाथ के पंजे के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। जनसम्पर्क में पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा, भुवन कापडी, वावी राठौर, नरेन्द्र आर्य, रवीश भट्नागर, राज किशोर आदि थे।

भाजपा

नगर पालिका खटीमा में भाजपा प्रत्याशी मीना राणा ने नगर पालिका के सभी वार्डों में घर–घर जाकर विकास के नाम पर समर्थन मांगा। मतदान के दिन भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के फूल पर मोहर लगाने की अपील की।

निर्दलीय

नगर पालिका खटीमा में निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मर्तोलिया ने नगर के सभी वार्डों में चुनाव प्रचार कर मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट मांगे। नगर की समस्याओं का समाधान करने का वायदा भी किया। मतदाताओं से गैस के सिलण्डर पर मतदान के दिन मोहर लगाने की अपील भी की।

तालिका 02

चुनाव परिणाम

कुल मतदाता 41146 **मतदान प्रतिशत 75**

क्र0सं0	प्रत्याशी का नाम	दल का नाम	प्राप्त मत
1	मीना राणा	भाजपा	6429
2	सोनी राणा	कांग्रेस	17502
3	पूनम मर्तोलिया	निर्दलीय	5457
4	नोटा		168

स्त्रोत :– निर्वाचन कार्यालय खटीमा से प्राप्त आंकड़े।

कांग्रेस प्रत्याशी सोना राणा ने भाजपा प्रत्याशी मीना राणा को 11073 मतों से हराकर जीत दर्ज की।

मतदान व्यवहार का अध्ययन

तालिका 03

1– क्या आपके नगर पालिका की तत्कालीन चैयरमैन ने विकास कार्य किये हैं–

हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कुछ कह नहीं सकते	प्रतिशत	कुल
18	45	10	25	12	30	40

स्त्रोत – क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त आंकड़े।

45 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ने विकास किये हैं। 25 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ने विकास कार्य नहीं किये हैं। 30 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।

तालिका 04

2– क्या आपके नगर पालिका में कोई राज्य स्तरीय नेता आये थे?

हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	जानकारी नहीं	प्रतिशत	कुल
22	55	02	5	16	40	40

स्त्रोत – क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त आंकड़े।

55 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हमारे वार्ड में राज्य स्तरीय नेता आये थे तथा 05 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में राज्य स्तरीय नेता नहीं आये थे। 40 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

तालिका 05

3– क्या स्थानीय समाचार पत्र चुनाव सम्बन्धी जानकारी देने में पर्याप्त हैं?

हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कुल
32	80	08	20	40

स्त्रोत – क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त आंकड़े।

80 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि स्थानीय समाचार पत्र चुनाव सम्बन्धी जानकारी देने में पर्याप्त है। 20 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा कि स्थानीय समाचार पत्र चुनाव सम्बन्धी जानकारी देने में पर्याप्त नहीं है।

तालिका 06

4– आप किस दल को वोट देना चाहते हैं?

भाजपा	प्रतिशत	कांग्रेस	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत	कुल
10	25	22	55	08	20	40

स्त्रोत :– क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त आंकड़े।

25 प्रतिशत व्यक्तियों ने भाजपा को 55 प्रतिशत व्यक्तियों ने कांग्रेस को तथा 20 प्रतिशत व्यक्तियों ने अन्य दल के प्रत्याशी को वोट दिया।

तालिका 07

5– इस बार नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पहले की अपेक्षा अब नगर पालिका का क्षेत्रफल अधिक है। नगर पालिका के आस पास के क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं?

सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत	कुल
26	65	14	35	40

स्त्रोत – क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त आंकड़े।

65 प्रतिशत व्यक्ति नगरपालिका के विस्तार पर सहमत थे तथा 35 प्रतिशत व्यक्ति नगर पालिका के विस्तार से असहमत थे।

निष्कर्ष

नगर पालिका परिषद में कुल 20 वार्डों में विभक्त किया गया है। नगर पालिका के आस पास के गांवों को भी शामिल किया गया है। पहले की अपेक्षा अब नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार हो गया है। अब भूड़ महोलिया, कंजाबाग पटिया, खेतलसण्डा खाम तथा अमाऊं में रहने वाले जनजाति परिवार भी नगर पालिका का हिस्सा बन गये हैं। नगर पालिका की सीमा से लगे गांवों के अधिकांश भाग के नगर पालिका में शामिल किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र में पर्वतीय मूल, मुस्लिम समुदाय, थारू जनजाति समुदाय, पूर्वांचली समुदाय तथा अन्य समुदाय के लोग निवास करते हैं।

नगर पालिका परिषद में पहली बार जनजाति महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है। इसके चलते चुनावी समीकरण बदल गये हैं। भाजपा तथा कांग्रेस सहित अन्य दलों ने प्रत्याशी का चयन सोच समझकर किया। इन चुनावों में वही प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकता है जिसके दो से ज्यादा बच्चे न हों। दो बच्चों की अनिवार्य शर्त के कारण भाजपा तथा कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को योग्य प्रत्याशी नहीं मिला। नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं ने शिक्षित तथा कर्मठ युवा प्रत्याशी का चुनाव किया। नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव विकास, शहर की स्वच्छता जनता को अधिक सुविधा देने जैसे– अन्य मुद्दों ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। मतदाता का मतदान व्यवहार प्रत्येक वार्ड में भिन्न–भिन्न रहा। प्रत्येक वार्ड की अपनी अलग–अलग समस्याऐं हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। जो मतदाता पहली बार अपने वोट का प्रयोग कर रहे थे उनमें मतदान के प्रति उत्साह सबसे ज्यादा था।

नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनी राणा को 17502 मत प्राप्त हुये तथा भाजपा प्रत्याशी मीना राणा को 6429 मत प्राप्त हुए, तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मर्तोलिया को 5457 मत प्राप्त हुये। नोटा को 168 मत मिले तथा कुछ मत अवैध भी हुए। कांग्रेस प्रत्याशी सोनी राणा ने भाजपा प्रत्याशी मीना राणा को 11073 मतों के अन्तर से हराकर इतिहास रच दिया। नगर पालिका परिषद खटीमा में सबसे ज्यादा मतों का अन्तर पहली बार देखेन को मिला। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमीनी पकड़ अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत थी। मतदाताओं के बीच स्वच्छ छवि थी जिसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिला।

संदर्भ ग्रंथ

1. वर्मा, डॉ. सतीश कुमार, *नगर निकायों में महिला जन प्रतिनिधियों की भूमिका,* VL Media Solutions New Delhi 110059, वर्ष 2010 पृष्ठ संख्या **01,02**
2. 16 अक्टूबर 2018, अमर उजाला नैनीताल पृष्ठ **01**
3. 24 अक्टूबर 2018, अमर उजाला, हिन्दुस्तान समाचार पत्र उधम सिंह नगर न्यूज
4. 30 अक्टूबर 2018, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान समाचार पत्र उधम सिंह नगर न्यूज
5. 21 अक्टूबर 2018 अमर उजाला समाचार पत्र
6. निर्वाचन कार्यालय खटीमा से प्राप्त आंकड़े।
7. शोधार्थी द्वारा चुनाव का विश्लेषण।